प्रारूप घ

(नियम 6 का उपनियम 6 देखिये)
विकास परमिट के अन्तिम अनुमोदन के लिये प्रारूप

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
शाहजहॉपुर।

सेवा में,

कुंज बिहारी इन्फ्रा डेवलपर प्रा0लि0
द्वारा–हरगोविन्द मोदी(डायरेक्टर)
साउथ सिटी एक्सटेंशन,शाहजहॉपुर।

महोदय,

ग्राम लालपुर,परगना जमौर,तहसील सदर,जनपद शाहजहॉपुर स्थित भूमि खसरा नं0 203,204 एवं 206(ग्राम लालपुर)कुल क्षेत्रफल 8997.64 वर्गमीटर पर भूमि के उपविभाजन एवं विकास की अनुज्ञा स्वीकृत करने के लिये आपके आवेदन पत्र सं0 26/2018–19 दिनांक 23–4–2018 के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र को निम्नलिखित शर्तों के अधीन,स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– विन्यास मानचित्र के लिये स्वीकृति की अवधि आर0बी0ओ0एक्ट 1958 के प्राविधानानुसार 5 वर्ष वैध रहेगी।तदोपरान्त,नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा एवं विकास कार्य के शुरू करने से पूर्व कार्य की सूचना निर्धारित प्रपत्र ङः पर कार्यालय में देनी होगी।

2– कपट से प्राप्त अनुमति को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है।

3– भूमि का स्वामित्व सिद्ध करने के लिये इस नक्शे का उपयोग किसी भी न्यायालय या कार्यालय में वैध न समझा जाये।

4– विन्यास मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है,केवल उसी प्रयोग में लाया जाये।

5– स्वीकृत विन्यास मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच अधिकारी द्वारा जॉच की जा सके।आन्तरिक निर्माण/विकास कार्य मानचित्र में अंकित विशिष्टियों के अनुसार कराया जाये तथा अधिकृत तकनीकी व्यक्ति से नियमित पर्यवेक्षण कराया जाये।विकास कार्यों के स्थायित्व की जिम्मेदारी विकासकर्तागण की होगी।सडक,सरकारी लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री एकत्रित न की जाये।

6– प्रस्तावित विन्यास मानचित्र के आधार पर आपकी सूचना के क्रम में,श्री जसदीप लॉम्बा, आर्किटैक्ट,शाहजहॉपुर से प्रस्तुत प्रमाण–पत्र के आधार पर आन्तरिक विकास कार्य का पर्यवेक्षण नियमित रूप से कराया जायेगा।

निरन्तर.....2

22/5/18

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र
नगर मजिस्ट्रेट, शाहजहॉपुर

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र शाहजहाँपुर

7– प्रस्तावित विन्यास मानचित्र की स्वीकृति आपके अनुबन्ध पत्र एवं बन्धपत्र में अंकित विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है।

8– प्रस्तावित विन्यास मानचित्र में दर्शाई गई सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था पार्क,सडक,नाली आदि के स्थल पर स्वामित्व सौंपने हेतु स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी तथा विकास के लिये निर्धारित शुल्क भी अदा करने होगें।अनुबन्ध पत्र एवं बन्ध पत्र के विपरीत कोई कार्य करने की स्थिति में,स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

9– प्रस्तावित कालोनी की जल निकासी की व्यवस्था विकासकर्ता को अपने संसाधनों से करनी होगी।

10– भूखण्डों का विकय स्वीकृत तलपट मानचित्र के आधार पर ही किया जायेगा।इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।भूखण्डों का भवन निर्माण कार्य हेतु प्रथक–प्रथक भवन मानचित्र स्वीकृत कराने होगें।

11– कालोनी के विकास के समय स्वीकृत तलपट मानचित्र का विवरण एवं इसकी विस्तृत सूचना सम्बन्धी बोर्ड स्थल पर स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।

संलग्नक–स्वीकृत तलपट मानचित्र की प्रति।
दिनांक –

नगर मजिस्ट्रेट/
नियत प्राधिकारी,विनियमित क्षेत्र,
शाहजहॉपुर।

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/नगर मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर

प्रारूप घ

(नियम 6 का उपनियम 6 देखिये)
विकास परमिट के अन्तिम अनुमोदन के लिये प्रारूप

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
शाहजहॉपुर।

सेवा में,

कुंज बिहारी इन्फ्रा डेवलपर प्रा0लि0
द्वारा–हरगोविन्द मोदी(डायरेक्टर)
साउथ सिटी एक्सटेंशन,शाहजहॉपुर।

महोदय,

ग्राम लालपुर,परगना जमौर,तहसील सदर,जनपद शाहजहॉपुर स्थित भूमि खसरा नं0 245 एवं 256(ग्राम लालपुर)कुल क्षेत्रफल 9046.33 वर्गमीटर पर भूमि के उपविभाजन एवं विकास की अनुज्ञा स्वीकृत करने के लिये आपके आवेदन पत्र सं0 72/2018–19 दिनांक 17–5–2018 के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र को निम्नलिखित शर्तों के अधीन,स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– विन्यास मानचित्र के लिये स्वीकृति की अवधि आर0बी0ओ0एक्ट 1958 के प्राविधानानुसार 5 वर्ष वैध रहेगी।तदोपरान्त,नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा एवं विकास कार्य के शुरू करने से पूर्व कार्य की सूचना निर्धारित प्रपत्र ङः पर कार्यालय में देनी होगी।

2– कपट से प्राप्त अनुमति को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है।

3– भूमि का स्वामित्व सिद्ध करने के लिये इस नक्शे का उपयोग किसी भी न्यायालय या कार्यालय में वैध न समझा जाये।

4– विन्यास मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है,केवल उसी प्रयोग में लाया जाये।

5– स्वीकृत विन्यास मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच अधिकारी द्वारा जॉच की जा सके।आन्तरिक निर्माण/विकास कार्य मानचित्र में अंकित विशिष्टियों के अनुसार कराया जाये तथा अधिकृत तकनीकी व्यक्ति से नियमित पर्यवेक्षण कराया जाये।विकास कार्यों के स्थायित्व की जिम्मेदारी विकासकर्तागण की होगी।सडक,सरकारी लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री एकत्रित न की जाये।

6– प्रस्तावित विन्यास मानचित्र के आधार पर आपकी सूचना के क्रम में,श्री जसदीप लाम्बा, आर्किटैक्ट,शाहजहॉपुर से प्रस्तुत प्रमाण–पत्र के आधार पर आन्तरिक विकास कार्य का पर्यवेक्षण नियमित रूप से कराया जायेगा।

निरन्तर.....2

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र
मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर

7– प्रस्तावित विन्यास मानचित्र की स्वीकृति आपके अनुबन्ध पत्र एवं बन्धपत्र में अंकित विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है।

8– प्रस्तावित विन्यास मानचित्र में दर्शाई गई सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था पार्क,सडक,नाली आदि के स्थल पर स्वामित्व सौंपने हेतु स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी तथा विकास के लिये निर्धारित शुल्क भी अदा करने होगें।अनुबन्ध पत्र एवं बन्ध पत्र के विपरीत कोई कार्य करने की स्थिति में,स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

9– प्रस्तावित कालोनी की जल निकासी की व्यवस्था विकासकर्ता को अपने संसाधनों से करनी होगी।

10– भूखण्डों का विकय स्वीकृत तलपट मानचित्र के आधार पर ही किया जायेगा।इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।भूखण्डों का भवन निर्माण कार्य हेतु प्रथक–प्रथक भवन मानचित्र स्वीकृत कराने होगें।

11– कालोनी के विकास के समय स्वीकृत तलपट मानचित्र का विवरण एवं इसकी विस्तृत सूचना सम्बन्धी बोर्ड स्थल पर स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।

संलग्नक–स्वीकृत तलपट मानचित्र की प्रति।
दिनांक –

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/नगर मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर

नगर मजिस्ट्रेट/
नियत प्राधिकारी,विनियमित क्षेत्र,
शाहजहाँपुर।

प्रारूप घ

(नियम 6 का उपनियम 6 देखिये)
विकास परमिट के अन्तिम अनुमोदन के लिये प्रारूप

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
शाहजहॉपुर।

सेवा में,

कुंज बिहारी इन्फ्रा डेवलपर प्रा0लि0
द्वारा–हरगोविन्द मोदी(डायरेक्टर)
साउथ सिटी एक्सटेंशन,शाहजहॉपुर।

महोदय,

ग्राम लालपुर,परगना जमौर,तहसील सदर,जनपद शाहजहॉपुर स्थित भूमि खसरा नं0 256,257 एवं 258(ग्राम लालपुर)कुल क्षेत्रफल 5293 वर्गमीटर पर भूमि के उपविभाजन एवं विकास की अनुज्ञा स्वीकृत करने के लिये आपके आवेदन पत्र सं0 411/2017–18 दिनांक 6–3–2018 के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र को निम्नलिखित शर्तों के अधीन,स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– विन्यास मानचित्र के लिये स्वीकृति की अवधि आर0बी0ओ0एक्ट 1958 के प्राविधानानुसार 5 वर्ष वैध रहेगी।तदोपरान्त,नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा एवं विकास कार्य के शुरू करने से पूर्व कार्य की सूचना निर्धारित प्रपत्र ङ: पर कार्यालय में देनी होगी।

2– कपट से प्राप्त अनुमति को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है।

3– भूमि का स्वामित्व सिद्ध करने के लिये इस नक्शे का उपयोग किसी भी न्यायालय या कार्यालय में वैध न समझा जाये।

4– विन्यास मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है,केवल उसी प्रयोग में लाया जाये।

5– स्वीकृत विन्यास मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच अधिकारी द्वारा जॉच की जा सके।आन्तरिक निर्माण/विकास कार्य मानचित्र में अंकित विशिष्टियों के अनुसार कराया जाये तथा अधिकृत तकनीकी व्यक्ति से नियमित पर्यवेक्षण कराया जाये।विकास कार्यों के स्थायित्व की जिम्मेदारी विकासकर्तागण की होगी।सडक,सरकारी लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री एकत्रित न की जाये।

6– प्रस्तावित विन्यास मानचित्र के आधार पर आपकी सूचना के कम में,श्री जसदीप लाम्बा, आर्किटैक्ट,शाहजहॉपुर से प्रस्तुत प्रमाण–पत्र के आधार पर आन्तरिक विकास कार्य का पर्यवेक्षण नियमित रूप से कराया जायेगा।

निरन्तर.....2

7– प्रस्तावित विन्यास मानचित्र की स्वीकृति आपके अनुबन्ध पत्र एवं बन्धपत्र में अंकित विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है।

8– प्रस्तावित विन्यास मानचित्र में दर्शाई गई सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था पार्क,सडक,नाली आदि के स्थल पर स्वामित्व सौंपने हेतु स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी तथा विकास के लिये निर्धारित शुल्क भी अदा करने होगें।अनुबन्ध पत्र एवं बन्ध पत्र के विपरीत कोई कार्य करने की स्थिति में,स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

9– प्रस्तावित कालोनी की जल निकासी की व्यवस्था विकासकर्ता को अपने संसाधनों से करनी होगी।

10– भूखण्डों का विकय स्वीकृत तलपट मानचित्र के आधार पर ही किया जायेगा।इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।भूखण्डों का भवन निर्माण कार्य हेतु प्रथक–प्रथक भवन मानचित्र स्वीकृत कराने होगें।

11– कालोनी के विकास के समय स्वीकृत तलपट मानचित्र का विवरण एवं इसकी विस्तृत सूचना सम्बन्धी बोर्ड स्थल पर स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।

संलग्नक–स्वीकृत तलपट मानचित्र की प्रति।
दिनांक –

11.05.18

नगर मजिस्ट्रेट/
नियत प्राधिकारी,विनियमित क्षेत्र,
शाहजहॉपुर।

प्रारूप घ

(नियम 6 का उपनियम 6 देखिये)
विकास परमिट के अन्तिम अनुमोदन के लिये प्रारूप

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
शाहजहॉपुर।

सेवा में,

कुंज बिहारी इन्फ्रा डेवलपर प्रा0लि0
द्वारा–हरगोविन्द मोदी(डायरेक्टर)
साउथ सिटी एक्सटेंशन,शाहजहॉपुर।

महोदय,

ग्राम लालपुर,परगना जमौर,तहसील सदर,जनपद शाहजहॉपुर स्थित भूमि खसरा नं0 233,235,246एवं 256(ग्राम लालपुर)कुल क्षेत्रफल 9,723 वर्गमीटर पर भूमि के उपविभाजन एवं विकास की अनुज्ञा स्वीकृत करने के लिये आपके आवेदन पत्र सं0 412/2017–18 दिनांक 6–3–2018 के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र को निम्नलिखित शर्तों के अधीन,स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– विन्यास मानचित्र के लिये स्वीकृति की अवधि आर0बी0ओ0एक्ट 1958 के प्राविधानानुसार 5 वर्ष वैध रहेगी।तदोपरान्त,नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा एवं विकास कार्य के शुरू करने से पूर्व कार्य की सूचना निर्धारित प्रपत्र ड पर कार्यालय में देनी होगी।

2– कपट से प्राप्त अनुमति को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है।

3– भूमि का स्वामित्व सिद्ध करने के लिये इस नक्शे का उपयोग किसी भी न्यायालय या कार्यालय में वैध न समझा जाये।

4– विन्यास मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है,केवल उसी प्रयोग में लाया जाये।

5– स्वीकृत विन्यास मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच अधिकारी द्वारा जॉच की जा सके।आन्तरिक निर्माण/विकास कार्य मानचित्र में अंकित विशिष्टियों के अनुसार कराया जाये तथा अधिकृत तकनीकी व्यक्ति से नियमित पर्यवेक्षण कराया जाये।विकास कार्यों के स्थायित्व की जिम्मेदारी विकासकर्तागण की होगी।सडक,सरकारी लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री एकत्रित न की जाये।

6– प्रस्तावित विन्यास मानचित्र के आधार पर आपकी सूचना के क्रम में,श्री जसदीप लाम्बा, आर्किटैक्ट,शाहजहॉपुर से प्रस्तुत प्रमाण–पत्र के आधार पर आन्तरिक विकास कार्य का पर्यवेक्षण नियमित रूप से कराया जायेगा।

निरन्तर.....2

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र शाहजहाँपुर

7– प्रस्तावित विन्यास मानचित्र की स्वीकृति आपके अनुबन्ध पत्र एवं बन्धपत्र में अंकित विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है।

8– प्रस्तावित विन्यास मानचित्र में दर्शाई गई सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था पार्क,सडक,नाली आदि के स्थल पर स्वामित्व सौंपने हेतु स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी तथा विकास के लिये निर्धारित शुल्क भी अदा करने होगें।अनुबन्ध पत्र एवं बन्ध पत्र के विपरीत कोई कार्य करने की स्थिति में,स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

9– प्रस्तावित कालोनी की जल निकासी की व्यवस्था विकासकर्ता को अपने संसाधनों से करनी होगी।

10– भूखण्डों का विकय स्वीकृत तलपट मानचित्र के आधार पर ही किया जायेगा।इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।भूखण्डों का भवन निर्माण कार्य हेतु प्रथक–प्रथक भवन मानचित्र स्वीकृत कराने होगें।

11– कालोनी के विकास के समय स्वीकृत तलपट मानचित्र का विवरण एवं इसकी विस्तृत सूचना सम्बन्धी बोर्ड स्थल पर स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।

संलग्नक–स्वीकृत तलपट मानचित्र की प्रति।
दिनांक –

11.05.2018

नगर मजिस्ट्रेट/
नियत प्राधिकारी,विनियमित क्षेत्र,
शाहजहाँपुर।

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र
शाहजहाँपुर